न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(RAS)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
105/2021	03.02.2021	07.06.2022

अनुवान

1. नन्दलाल
2. सांवत
3. चेतराम पुत्रान बद्रीप्रसाद जातियान अहीर निवासीयान बावडी की ढाणी तहसील नीमराना जिला अलवर, राज0

वादीगण

बनाम

1. झूंथा उर्फ फूसा पि0 मु0 बल्ला जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
3. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज
बम्य हु0 ई0 दवामी

उपस्थितिः– श्री रणवीर सिंह यादव अधिवक्ता – वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक :– 07.06.2022

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी हाल ख0नं0 [illegible] 20 है0, 72/0.20 है0, 73/0.20 है0 वाके ग्राम जालावास तह[illegible] राज0 में स्थित होकर 1/3 भाग विवादित आराजी कहलायेगी तथा उक्त आराजी [illegible] नम्बरान साबिक ख0नं0 47 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा से पैमूद हुये है। आराजी [illegible]ाजा वादी की जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा आराजी है जो पूर्व मूला, रामस्वरूप, रामजीलाल पुत्रान झब्बल जाति अहीर निवासी जालावास से बएवज प्रतिफल दो हजार रूपये में बाकब्जा दिनांक 21.06.1968 में खरीद की गई। वक्त खरीद से वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे थे। आराजी के साबिक राजस्व रिकॉर्ड में मंगलीया, प्रभू पुत्रान सुखलिया 1/3, नत्थू, चिमन पुत्रान परतिया 1/3 हिस्सेदार बकाश्त झूंथा उर्फ फूसा पि0 मु0 बल्ला गैर मौरूषी अब्बल मूला, रामजीलाल, रामस्वरूप पि0 झब्बल 1/3 के इन्द्राज संवत 2013–16 की जमाबन्दी में एवं 2017–19 व 2019–23 की जमाबन्दी में इसी प्रकार इन्द्राजात होते आये है। प्रतिवादी सं0 1 का गैर मौरूषी के रूप में इन्द्राजात रहे है और गैर मौरूषी को कोई खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वादीगण के विक्रेता आराजी के 1/3 भाग के काबिज काश्तकार खातेदार रहे है। आराजी मुतनाजा खरीद के बाद सन् 1968 से वादीगण आराजी पर बदस्तूर काबिज एवं दखिल है एवं वादीगण आज भी मौके पर काश्तकार करते आ रहे है। आराजी मुतनाजा के 2/3 हिस्से के सहखातेदारान मंगलिया, प्रभू व चिमन, नत्थू के वारीसान के खिलाफ वादीगण का कोई अनुतोष नहीं है ना ही वादीगण उनके हिस्से से कोई रिलीफ नहीं चाहते। जिससे उनके हक–हकूकों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है इसलिय उन्हे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। आराजी मुतनाजा में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण का नाम का इन्द्राज नहीं किया जबकि वादीगण द्वारा 1968 में वक्त खरीद भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही चल रही थी और इन्तकाल भी दर्ज हो गया था परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने इन्तकाल का अमल जमाबन्दी में नहीं किया एवं ना ही मौका की जानकारी ली क्योंकि मौके पर प्रतिवादी का ना तो कब्जा था और ना ही प्रतिवादी का आराजी से कोई संबंध व सरोकार था परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून आराजी मुतनाजा में वादीगण के हिस्से पर प्रतिवादीगण सं0 1 गैर काबिज गैर वास्ता व्यक्ति के नाम का इन्द्राज कर दिया। कार्यवाही के समय प्रतिवादी सं0 1 गांव छोडकर कहीं दीगर जगह चला गया था तब से ही प्रतिवादी सं0 1 के बारे में जानकारी नहीं है कि कहां रह रहा है, जीवित है या फौत हो चुका है। बैयनामा से खरीददार काबिज काश्तकारों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं किया गया। ऐसी सूरत में अन्देशा है कि प्रतिवादी या उसके वारीसान आराजी में उनके नाम के गलत इन्द्राजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

का लाभ उठाकर बाला–बाला कहीं दीगर व्यक्ति को रहन बैय हिबा से मुन्तकिल कर दिया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति हो जायेगी आदि–आदि का अंकन करते हुये निवेदन रहा कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात में वादीगण को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं0 1 नाम हजफ किया जाकर वादीगण के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जावे तथा प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जावे कि आराजी मुतनाजा को रहन बैय आदि से मुन्तकिल ना करें, ना ही मिन वादीगण को बेदखल करें का निवेदन रहा।

प्रकरण दार्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1 व 3 के उपस्थित नहीं आने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादी सं0 2 द्वारा बार–बार अवसर उपरान्त जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में जवाब सरकार का अवसर समाप्त किया गया। वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत 2039–42 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत 2033 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत 2063–66 किता 2 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत 2013 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत 2018 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत 2009 प्रदर्श–6, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 प्रदर्श–7, नकल बयनामा दिनांक 21.06.1968 प्रदर्श 8 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र नन्दलाल पी.डब्ल्यू.–1, सांवत पी.डब्ल्यू.–2 एवं चेतराम पी.डब्ल्यू.–3 के पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस अंतिम सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्रों के जिम्मनों को दौहराते हुये उक्त विवादित आराजीयात को बएवज प्रतिफल मुबलिग दो हजार रूपये में बाकब्जा दिनांक 21.06.1968 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा मूला उपनाम मूलचन्द, रामजीलाल, रामस्वरूप पुत्रान [illegible] जीलावास से साबिक आराजी ख0नं0 47 रकबा 2 बीघा 8 [illegible] संभाग पुत्रान उमराव के नाम से खरीद किया [illegible] प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली कर दिये जाने का अभिकथन करते हुये क्रेता हम वाद[illegible] के पिता का भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

सूरजभान के नाऔलाद फौत हो जाने की स्थिति में उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान के 1/3 हिस्से के क्रेता खातेदार काश्तकार होने बाबत का अभिकथन करते हुये वादीगण के पिता बद्रीप्रसाद के भाई सूरजभान एवं सूरजभान की पत्नी बनारसी दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं ग्राम पंचायत फौलादपुर द्वारा सूरजभान एवं उनकी पत्नी बनारसी देवी के फौत हो जाने एवं उनका जाईन्दा वारिस नहीं होना अर्थात नाऔलाद फौत हो जाने के बाबत का प्रमाण पत्र सहित पत्रावली में जरिये सूची दस्तावेजात के दस्तावेजात पेश कर देने का निवेदन करते हुये शामिल पत्रावली होना अवगत कराते हुये उक्त विवादित आराजीयात के 1/3 भाग के बाबत प्रतिवादी सं0 1 के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का एवं इसी अनुरूप अमल दरामद कराये जाने एवं विवादित आराजीयात की बाबत प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द कराये जाने का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रवाली में प्रस्तुत दस्तावेज का गहनता से अवलोकन उपरान्त वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से स्पष्ट रूप साबित कर दिये जाने की स्थिति में यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने पर स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के हाल आराजी ख0नं0 71/0.20 है0, 72/0.20 है0, 73/0.20 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं वादीगण को संभाग में उक्त विवादित आराजीयात के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी के बाबत प्रतिवादी सं0 1 के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे उनके नाम के अंकन का बेजा फायदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.05 13:54:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उठाकर दीगर जगह रहन बैय आदि से मुन्तकिल ना करें, पाबन्द रहें। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(RAS)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
105 / 2021	03.02.2021	07.06.2022

अनुवान

1. नन्दलाल
2. सांवत
3. चेतराम पुत्रान बद्रीप्रसाद जातियान अहीर निवासीयान बावडी की ढाणी तहसील नीमराना जिला अलवर, राज0

वादीगण

बनाम

1. झूंथा उर्फ फूसा पि0 मु0 बल्ला जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
3. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज
बम्य हु0 ई0 दवामी

उपस्थितिः– श्री रणवीर सिंह यादव अधिवक्ता – वादीगण

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.06.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:13 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के हाल आराजी ख0नं0 71 / 0.20 है0, 72 / 0.20 है0, 73 / 0.20 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत [illegible] वाद को डिक्री

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

किया जाता है एवं वादीगण को संभाग में उक्त विवादित आराजीयात के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी के बाबत प्रतिवादी सं0 1 के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे उनके नाम के अंकन का बेजा फायदा उठाकर दीगर जगह रहन बैय आदि से मुन्तकिल ना करें, पाबन्द रहें। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.06.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

7-6-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:34:13 IST
Reason: SelfAttested